गोपनीय/मुहरबंद

बिहार सरकार

खेल विभाग

।। मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संलेख।।

विषयः—राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के गठन हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।

राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब गठन करने से युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता होगी एवं खेल आधारभूत संरचना विकसित होगा।

1. राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में गठित खेल क्लब का सम्बद्ध बिहार राज्य खेल प्राधिकरण से होगा, इनके पर्यवेक्षण में क्लब कार्य करेगा।

2. राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में गठित खेल क्लब के गतिविधियों एवं कार्य के विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

3. राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में गठित खेल क्लब को प्रति वर्ष समुचित राशि खेल विभाग से अनुमोदनोपरांत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा दिया जायेगा।

4. प्रत्येक नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में एक खेल मैदान चिन्हित किया जायेगा, मैदान नहीं होने की स्थिति में भूमि का अधिग्रहण विभाग द्वारा किया जायेगा।

5. उपर्युक्त प्रस्ताव एवं संलेख प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6. उपर्युक्त प्रस्ताव एवं संलेख प्रारूप पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

7. उपर्युक्त कंडिका—1, 2, 3 एवं 4 पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रार्थित है।

BRajendra 19.6.2024

(डॉ0 बी0 राजेन्दर),
सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांक—5/खे.वि. 8—02/2024 758 /पटना, दिनांक— 19.6/2024

प्रतिलिपि :—संलेख की 50 (पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ मंत्रिपरिषद् की आगामी बैठक की कार्यावली में सम्मिलित करने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को अग्रसारित।

BRajendra 19.6.2024

सरकार के प्रधान सचिव।

जाँच पत्र

1.	विभाग का नामः–	**खेल विभाग**
2.	संचिका संख्या :–	5/खे.वि.8–02/2024
3.	प्रस्ताव का विषय :–	राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के गठन हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।
4.	क्या हर संलेख के ऊपर विषय साफ लिख दिया गया है एवं उपांत में गोपनीय/मुहरबंद लिखा गया है?	हाँ
5.	क्या प्रस्ताव संबंधी सभी मुख्य बातों का उल्लेख संलेख में कर दिया गया है?	हाँ
6.	जिन विभागों के परामर्श अपेक्षित था, क्या वे संलेख में सहमत हैं?	हाँ
7.	व्यय मूलक सभी प्रस्तावों में वित्त विभाग की सहमति ले ली गयी है, बजट उपबंध किया जा चुका है, तो लागत व्यय विवरणी संलेख में संलग्न कर दिया गया है या नहीं एवं इसका उल्लेख संलेख में कर दिया गया है या नहीं?	आवश्यक नहीं
8.	यदि वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग या किसी अन्य विभाग की सहमति प्राप्त की गयी है तो उन विभागों द्वारा जिन बिन्दुओं पर सहमति दी गयी है और यदि कोई शर्त लगाये गए हैं तो उनका स्पष्ट उल्लेख संलेख में किया गया है और प्रस्ताव तदनुसार है?	आवश्यक नहीं
9.	क्या संलेख पर मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है एवं इसे संलेख में लिख दिया गया है?	हाँ
10.	क्या संलेख वाली संचिका के साथ अन्य सृजित संचिकायें जमा की गई है और उन्हें निर्देश अंकित कर दिया गया है।	आवश्यक नहीं
11.	क्या नये पदों के सृजन एवं उत्क्रमण के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति विभाग की सहमति के अतिरिक्त यदि योजना मद में हो तो योजना विभाग और गैर योजना मद में हो तो प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति प्राप्त कर ली गयी है?	आवश्यक नहीं
12.	ऐसे मामले में जहाँ लोक सेवा आयोग से परामर्श जरूरी है क्या लोक सेवा आयोग के पत्र की	आवश्यक नहीं

	प्रतिलिपि संलग्न कर दी गयी है?	
13.	सेवाओं में और पदों पर नियुक्ति के मामले में :–	आवश्यक नहीं
क	क्या संलेख में हर उम्मीदवार की योग्यताओं का पूरा–पूरा उल्लेख कर दिया गया है?	आवश्यक नहीं
ख	क्या सीधी भर्ती वालों के पूर्व वृत सत्यापित कर लिये गये हैं?	आवश्यक नहीं
14.	प्रोन्नति का सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के मामलों में क्या संलेख में ऐसी कोई कंडिका है, जिसमें अनु. जाति एवं अनु. जनजातियों के लिए स्थानीय आरक्षण के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है और साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रस्तावित नियुक्ति में आरक्षण का लिहाज रखा गया है और यदि नहीं तो उसका कारण एवं इसमें सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति ली गयी है या नहीं?	आवश्यक नहीं
15.	(1) क्या प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों ने सेवा नियमावली में प्रोन्नति के लिए निर्धारित सभी अर्हता और शर्त पूरी कर ली है?	आवश्यक नहीं
	(2) जिस पद पर प्रोन्नति प्रस्तावित है वह स्थायी रूप से स्वीकृत है या अस्थायी?	आवश्यक नहीं
	(3) प्रोन्नति स्थायी/परीक्ष्यमाण या स्थायी रूप से प्रस्तावित है?	आवश्यक नहीं
16.	क्या संपुष्टि या प्रोन्नति विषयक प्रस्तावों में अंतिम रूप से वरीयता निर्धारित है और यदि किसी का अवक्रमण (सुपरलेसन) है, तो क्या संलेख में इसके कारण का उल्लेख कर दिया गया है?	आवश्यक नहीं
17.	प्रोन्नति या मौलिक नियुक्ति के मामलों में :–	आवश्यक नहीं
क	क्या प्रोन्नति या नियुक्ति किये जाने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध किन्हीं अभियोग के संबंध में कोई कार्रवाई की जा रही है?	आवश्यक नहीं
ख	यदि कोई कार्रवाई की जा रही है तो क्या इसका उल्लेख संलेख में कर दिया गया है?	आवश्यक नहीं
ग	क्या प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों के संबंध में निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त है।	आवश्यक नहीं
18	क्या लोक सेवा आयोग के अनुशंसा की प्रत्याशा में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति का उसके अवधि विस्तार के प्रस्ताव में निम्नलिखित बिन्दुओं की जाँच कर ली जाए:–	आवश्यक नहीं

(क) (i) लोक सेवा आयोग को अधियाचना पत्र किसी पत्र से कब भेज गया है?	आवश्यक नहीं
(ii)क्या लोक सेवा आयोग की अनुशंसा तीन महीने से अधिक अवधि से लंबित है?	आवश्यक नहीं
(iii)क्या लोक सेवा आयोग द्वारा कोई अतिरिक्त सूचना मांगी गयी है तो विभाग से भेजना लंबित है?	आवश्यक नहीं
(iv)वर्त्तमान तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति सर्वप्रथम कब स्वीकृत की गयी थी और कितने दिनों से अवधि विस्तार हो रहा है?	आवश्यक नहीं
(v)नियुक्ति/प्रोन्नति को नियमित करने में विलंब का कारण क्या है?	आवश्यक नहीं
(ख) (i)क्या तदर्थ प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों के संबंध में वरीयता या अन्य किसी बिन्दु पर विवाद है?	आवश्यक नहीं
(ii) कोई प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित है?	आवश्यक नहीं
(iii)किसी आरक्षित पद को अनारक्षित करने का प्रस्ताव निहित है?	आवश्यक नहीं
(ग) क्या लोक सेवा आयोग के सदस्यों को छोड़कर विभागीय प्रोन्नति समिति के अन्य सदस्यों की बैठक में प्रस्तावित तदर्थ नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है?	आवश्यक नहीं
19. अस्थायी पद की अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से प्राप्त प्रस्ताव के मामलों में क्या संलेख में ऐसी कोई कंडिका दी गई है, जिसें यह स्पष्ट किया गया है कि विलंब क्यों हुआ और दोषी पदाधिकारियों को दंड देने के लिए विभाग ने कौन सी कार्रवाई की गयी है ?	आवश्यक नहीं
20. क्या संलेख प्रधान सचिव/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित है या नहीं (संलेख पर प्रधान सचिव/सचिव की अनुपस्थिति में ही संयुक्त सचिव या इससे उच्चतर पदाधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए)।	हाँ
21. संलेख कम्प्यूटर टंकित करने के बाद उत्तरदायी पदाधिकारी द्वारा उसे पढा गया है या नही तथा संलेख की प्रति स्वच्छ एवं स्पष्ट है या नहीं।	हाँ
22. क्या संलेख को प्रधान सचिव/सचिव ने देखा है या नहीं? (संलेख उनके माध्यम से ही विभागीय मंत्री के पास भेजा जाना चाहिए)	हाँ
23. संलेख के साथ प्रेस नोट संलग्न है या नहीं?(प्रेस	हाँ

	नोट 50 प्रतियों में अलग फोल्डर में संलग्न किया जाना चाहिए)	
24.	कार्यान्वयन अनुसूची संलग्न है या नहीं? (कार्यान्वयन अनूसुची 5(पाँच) प्रतियों में अलग फोल्डर में संलग्न किया जाना चाहिए)	हाँ
25	जाँच पत्र संलग्न है या नही? (जाँच पत्र 5(पाँच) प्रतियों में अलग फोल्डर में संलग्न किया जाना चाहिए)	हाँ
26	संलेख की प्रतियाँ संलग्न है या नही? (संलेख की 3(तीन) मूल हस्ताक्षरित प्रतियाँ तथा 50(पचास) छाया प्रति संलग्न किया जाना चाहिए। संलेख की एक मूल हस्ताक्षरित प्रति विभाग की संचिका में रहनी चाहिए)।	हाँ

Rajend 19.6.2014

(डॉ0 बी0 राजेन्दर),
सरकार के प्रधान सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

(9)

बिहार सरकार
खेल विभाग
।। प्रेस नोट।।

राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के गठन हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।

1. राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में गठित खेल क्लब का सम्बद्ध बिहार राज्य खेल प्राधिकरण से होगा इनके पर्यवेक्षण में क्लब कार्य करेगा।

2. राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में गठित खेल क्लब के गतिविधियों एवं कार्य के विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

3. राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में गठित खेल क्लब को प्रति वर्ष समुचित राशि खेल विभाग से अनुमोदनोपरांत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा दिया जायेगा।

4. प्रत्येक नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में एक खेल मैदान चिन्हित किया जायेगा, मैदान नहीं होने की स्थिति में भूमि का अधिग्रहण खेल विभाग द्वारा किया जायेगा।

Rajendra 19.6.2014

(डॉ0 बी0 राजेन्दर),
सरकार के प्रधान सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् विभागों द्वारा अनुपालन हेतु
—: कार्यान्वयन अनुसूची का विवरण :—

विभाग का नाम :— खेल विभाग।

संचिका संख्या :— 5/खे.वि. 8—02/2024

विषय :— राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के गठन हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।

निर्णय का सारांश	योजना, लाभ/फलाफल	समय सीमा एवं कार्यान्वयन की रिति/मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रतिवेदित किया जाना (अधिकतम सात दिन)
राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के गठन हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।	**1.** राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में गठित खेल क्लब का सम्बद्ध बिहार राज्य खेल प्राधिकरण से होगा, इनके पर्यवेक्षण में क्लब कार्य करेगा। **2.** राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में गठित खेल क्लब के गतिविधियों एवं कार्य के विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। **3.** राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में गठित खेल क्लब को प्रति वर्ष समुचित राशि खेल विभाग से अनुमोदनोपरांत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा दिया जायेगा। **4.** प्रत्येक नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में एक खेल मैदान चिन्हित किया जायेगा, मैदान नहीं होने की स्थिति में भूमि का अधिग्रहण खेल विभाग द्वारा किया जायेगा।	एक सप्ताह।

हस्ताक्षर :— BRajender 15.6.2024

नाम :—डॉ0 बी0 राजेन्दर

पदनाम :—प्रधान सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।